न्यायालय अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

उनवान चुन्नी बनाम ग्रा. पं. धोद व अन्य

मुकदमा नं. अपील मु.नं. 51/2025

6/1/2025	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलांट उप० बहस पर मनन किया समस्त पत्रावली का अवलोकन किया अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश पुनः नकल के प्रति पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी धोद ... सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/05/2025

01. चुनकी पत्नी बाबु खान
02. मो. रफीक पुत्र बाबु खान
03. मो. इलियास पुत्र बाबु खान
04. सगीम बानो पुत्री बाबु खान
05. नजमा बानो पुत्री बाबु खान
06. मोहम्मद अजीज पुत्र बाबु खान
07. फिरोज बानो पुत्री बाबु खान
08. मेहरून निसा पुत्री बाबु खान
09. सदाम पुत्र बाबु खान
10. सिकन्दर पुत्र बाबु खान

समस्त जाति मणियार मुसलमान निवासीगण ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर

–अपीलांटस

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत धोद, तहसील धोद जिला सीकर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध
नामान्तरकरण सं. 3376 दिनांक 20.09.2023 वाके ग्राम धोद
जो दिनांक 20.09.2023 को अधीनस्थ ग्राम पंचायत, धोद द्वारा खारिज किया गया

उपस्थिति–

01. श्री रामस्वरूप कुड़ी, वकील अपीलांट्स की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 06.01.2026

वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "अपीलांट्स के खाते कब्जे काश्त की भूमि ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में खसरा सं. 534 रकबा 0.9500 हेक्टेयर, खसरा सं. 535 रकबा 0.9100 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8600 हेक्टेयर, खसरा सं. 1152 रकबा 0.8800 हेक्टेयर, खसरा सं. 1153 रकबा 0.8500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 533 रकबा 0.9100 हेक्टेयर, खसरा सं. 538 रकबा 0.9200 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8300 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार बाबु खां पुत्र लालू खां का दिनांक 11.12.2021 को स्वर्गवास हो गया था। जिसके अपीलांट्स वैध वारिसान व प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण है। अपीलांट्स ने मृतक खातेदार बाबू खां पुत्र लालू खां के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु विधिवत रूप से ग्राम पंचायत, धोद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का ने मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस का शपथ पत्र, सजरा प्रमाणीकरण के

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर जांच एवं निस्तारण हेतु पेश किया, तद्उपरान्त गिरदावर ने मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अंकन स्वीकार योग्य है। इसके बावजूद भी नामान्तरकरण संबंधी नियमों को इग्नोर करते हुए योग्य ग्राम पंचायत, धोद ने नामान्तरकरण खारिज करने का निर्णय किए जाने के कारण निर्णय/आदेश निरस्त होने योग्य है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रेकार्डेड खातेदार का निर्वसीयति स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण खारिज किए जाने के आदेश/निर्णय दिनांक 20.09.2023 को खारिज किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलांट्स के पक्ष में रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना कोई कारण अंकित किये तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विरूद्ध योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने मनमाना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज है। विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की समरी जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर नामान्तरकरण खारिज करने का निर्णय/आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खारिज करने के निर्णय/आदेश से पूर्व अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने की कोई सूचना या सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिए नामान्तरकरण सं. 3376 ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के बाबत पारित आदेश निर्णय दिनांक 20.09.2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2023 पारित करने से पूर्व या इसके उपरान्त कोई नोटिस सूचना अपीलांटस को नहीं दी गयी। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 11.03.2025 को अपनी खातेदारी भूमियो की जमाबंदी निकलवाई, तो उसमें नामान्तरकरण सं. 3376 के खारिज होने का नोट अंकित होने पर हल्का पटवारी से दिनांक 10.01.2025 को नकल प्राप्त की जिस पर नामान्तरकरण सं. 3376 दिनांकित 20.09.2023 को खारिज होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। लेकिन अपीलांट्स को नामान्तकरण की अपील प्रस्तुति का कानूनी जानकारी का अभाव होने व अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति होने के कारण अवधि भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अब अविलम्ब ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर यथाशीघ्र अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना प्रार्थनीय है। जिस हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र सादर प्रस्तुत है। अपील माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अपील अंदर मियाद उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 3376 दिनांक 20.09.2023 ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के बाबत ग्राम पंचायत धोद पंचायत समिति धोद जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.09.2023 को नामान्तकरण खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किए जाने का तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर को आदेश दिये जाने की कृपा करें।"

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ आवेदन तहत दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब को क्षमा किये जाने का अनुरोध किया है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 पर विधिवत तामील जरिये जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण अपील में वर्णित नामान्तरकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2037 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय दस्तावेजात प्रति प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपील के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराकर कथन किया कि वर्णित नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 3376 वाके ग्राम धोद के संबंध में ग्राम पंचायत धोद द्वारा दिनांक 20.09.2023 को भरा गया, जिसमें अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति में अपीलांट्स के पति/पिता बाबू खां पुत्र लालू खां के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण भरा गया है, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत, धोद की ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.09.2023 के प्रस्ताव सं. 1 द्वारा अस्वीकृत किया गया है। प्रकरण अपील में अपीलांट्स के पति/पिता बाबू खां पुत्र लालू खां का दिनांक 11.12.2021 को स्वर्गवास होने पर उक्त के वारिसानों/अपीलांट्स के द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत, धोद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पटवारी हल्का ने मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस का शपथ–पत्र, सजरा खानदान के आधार पर व संबंधित गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने बाबत टिप्पणी किये जाने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत, धोद द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया है। अपीलांट्स द्वारा विवादित भूमियों को पैतृक भूमि होने का अभिकथन करते हुए प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन नामांतरकरण को चुनौती दी है। प्रकरण अपील में वर्णित नामान्तरकरण दर्ज करते समय संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा त्रुटि होना जाहिर है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार से प्राप्त वर्णित तथ्यात्मक रिपोर्ट से होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 3376 दिनांकित 20.09.2023 वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत, धोद द्वारा दिनांक 20.09.2023 को अस्वीकार किये गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, धोद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व. बाबू खां पुत्र लालू खां के विधिक वारिसानों के संबंध में जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। इस बाबत पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर